भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1016

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

गुजरात-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाया जाना

1016. श्री दिलीपभाई पंडया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीमा पर बाड़ निर्माण हेतु कुल निर्धारित लंबाई कितनी है तथा अभी तक स्तंभ-वार कितना काम पूरा कर लिया है; और
(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और गुजरात सीमा के खुले हुए भाग कब तक बंद कर दिये जाएंगे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) : गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 340 किमी. तक बाड़ लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस कार्य के मई, 2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था । तथापि, बार-बार बाढ़ आने तथा जलप्लावित/जल-भराव/दलदल वाले क्षेत्रों के कारण, यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। आज की स्थिति के अनुसार पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स्वीकृत बाड़	पूर्ण किया बाड़ संबंधी कार्य
340 कि.मी.	262.7
सीमा पिलर (बीपी) सं. 921/एम से 1135 एम तक	बीपी सं. 921 से 1012 तक = 145 किमी.
भारत-म्यांमार	बीपी सं. 1049 से 1050 तक = 11 किमी. (प्रायोगिक परियोजना)
	बीपी सं. 1057/एम से 1122/एस-2 तक = 102.7 किमी.
	बीपी सं. 1125 से 1135 तक = 14 किमी.

(ग) : गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ का शेष कार्य जलप्लावित/जल-भराव/दलदल वाले क्षेत्रों में आता है। कार्यनिष्पादन एजेंसियां शेष भागों में बाड़ लगाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही हैं जो क्षेत्रीय तथा मौसम संबंधी हालातों का सामना कर सकती हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ कार्य पूरा करने के लिए एक किमी. की प्रायोगिक परियोजना पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, चूंकि भारत-पाकिस्तान सीमा के कुछ हिस्से अत्यधिक दलदली तथा नीचे स्थित है, अत:, गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा के सभी खुले हिस्सों पर बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है।

*****